को प्रेषित की

8/19 वादी पक्ष। प्रतिवादी को सुना। केवल प्रारंभिक आपत्ति पर तर्क निवेदन किया। वाद पत्र की पारिवारिक प्रकृति स्वीकार किया जाता है जिसे पुस्तक के निष्कर्ष नगर थाना (ग्रामीण) फतेहपुर में पंजीकृत मुकदमे के रूप में करें।